

# चायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुंन 10/15

तारीख रबू 5.11.15

उनवान - समयासिंह बनाम गोगसिंह को बूजर  
महमदपुर

दावा बाबत तकारूमा व स्थायी निषेधाज्ञा  
धारा 53, 188 अन्तर्गत

वादी को ओर से Adv. सुरेशचन्द्रशर्मा ने दावा  
बाबत तकारूमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया।

शपथपत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये

सम्मन से तलब कर पत्रावली दि: 24.11.15

को पेश हो।

**उप जिला कलेक्टर**  
टोडाभीम (करौली)

24/15 वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं 1 ता 5 एवं 8 ता 10 की ओर

से श्री रामशरोसी गुवा Adv. ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादी नं 6, 7 की लम्बील आर्मी में सर्विल करि पा-चस्योगी  
से हुई है। प्रतिवादी नं 11 ता 18 के सम्मन परिवा के सट्टे

पा तथा प्रतिवादी नं 18 के सम्मन की लम्बील कायलिप

कम्प्यारी से हुई है किन्तु कोई उपस्थित नहीं थी

P.O. साठ डाकवाला पाई वास्ते अग्रिम आदेश व जवब

दि 2.12.15 को पेश हो।

2/15 वकलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी... डाकवाला पा  
है। गतानुसार दिनांक 6.12.16 को पेश हो।

3/16 वकलाय उप०। प्रतिवादी नं 11 ता 19 के विरुद्ध एक

पक्षीप कार्यवाही की जाती है। वादी वकील प्रतिवादी नं

6, 7 के सम्मन ललवाना पुनः पेश करे तथा वकील

प्रतिवादी नं 1 ता 5 का जवब पेश करे। दिनांक 4.2.16

को पेश हो।

